राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलटरी कमेटी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :प.1(1)एमई / ग्रुप–1 / 2003 जयपुर, दिनांक: 19.03.2020

आदेश

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 17.02.2020 को आयोजित बैठक में विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त निम्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शुल्क संरचना राशि रूपये छात्र प्रति वर्ष (विकास शुल्क सहित) निम्नानुसार वर्षवार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है:–

Course	For 2020-21	For 2021-22	For 2022-23
D. Pharma	57000/-	60000/-	63000/-
B. Pharma	88500/-	93000/-	98000/-
M. Pharma	1,13,500/-	1,19,000/-	1,25,000/-

2. उपर्युक्त शुल्क के अलावा छात्रावास तथा परिवहन शुल्क पृथक से छात्रों से लिये जा सकेंगे।

3. मैस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रो से अंशदान के आधार पर ली जायेगी। छात्रावास के बिजली आपूर्ति के बिलो की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रो के मध्य समान रूप से सम्भिभाजित की जावेगी।

4. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापिस की जायेगी।

5. उक्त छात्रो से संबधित विश्वविघालय द्वारा निर्धारित पंजीयक शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।

6. कॉलेज उपरोक्त शुल्क के आलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क लाइब्रेरी शुल्क या अन्य किसी भी स्वरूप में कोई राशि औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से छात्रो से वसूल नही करेगे। कॉलेज यदि उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क अथवा राशि वसूल करते है तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7. उक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020–21 से नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगा।

(वैभव गालरिया)
सदस्य सचिव, शुल्क रेगुलटरी कमेटी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. जस्टिस एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, शुल्क निर्धारित कमेटी।
5. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन / शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविघालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य, दन्त महाविघालय।
10. समस्त सदस्य शुल्क निर्धारण समिति।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 सुनील भटनागर)
विशेषाधिकारी

Scanned by CamScanner